| प्राप्तांक | |
|---|---|
| पूर्णांक | 15 |

राजस्थान सरकार

चौधरी मालू राम भांभू

# राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

टेस्ट/परीक्षा – प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्रथम टेस्ट

शिक्षक के हस्ताक्षर

नाम ...................... नामांकन संख्या ......................

रोल नं. ...................... शाखा ......................

वर्ष ...................... विषय उद्यमिता एवं प्रबंधन ...................... कोड 210 ...................... दिनांक ......................

Q.1. उद्यमिता किसे कहते हैं? उद्यमिता की विशेषताओं को समझाइए?

Q.2. रीको द्वारा उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया को समझाइए?

Q.3 SSI इकाई को स्थापित करने के लिए विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए

Q.4 विपणन किसे कहते हैं? विपणन अवधारणा की विशेषताएँ लिखिए?

Q.5 अनुदान सुविधाओं को समझाइए?

Ans.1. एक देश की आर्थिक प्रगति में व्यावसायिक उद्यमिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता हैं। उद्यमिता को विकसित करके ही बहुत-सी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं जैसे- बेरोजगारी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर इत्यादि को हटाया जा सकता हैं। उद्यमी प्रवृतियों के द्वारा ही नए उद्योगों, रोजगार, वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण होता हैं।

मिचेल पालमर के अनुसार "कोई भी व्यवसाय कभी भी अपने आप प्रारम्भ नहीं होता है।" उपरोक्त कथन सत्य है किसी उद्यमी के प्रयत्नों से ही किसी संगठन का उद्भव व विकास सम्भव होता हैं। व्यापारिक दुनिया में गला-काट प्रतियोगिता, अनिश्चितताओं, जोखिम के कारण साहसिक क्षमता का महत्व और आवश्यकता और भी बढ़ गई हैं। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद या समाजवादी साहसिकता आर्थिक क्रांति का मुख्य स्तम्भ बन गई हैं।

उद्यमिता की विशेषताएँ :-

उद्यमिता की विशेषताएँ निम्न हैं:-

CMRBGPC SRI GANGANAGAR

(1.) नियमित क्रिया :- उद्यमिता कोई रहस्यमय उपहार पा जाए नहीं है और न ही कोई ऐसी घटना है जो स्वत: ही घट जाती है। यह एक नियमबद्ध, कदम-दर-कदम चलने वाली तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसकी कुछ मन: स्थितियां, चातुर्य तथा अन्य ज्ञान एवं योग्यता संबंधी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हे उपार्जित, हृदयांगम तथा विकसित किया जा सकता है।

(2.) विधि - सम्मत :- उद्यमिता का उद्देश्य विधि सम्मत व्यापार करने से हैं। यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी का यह प्रयत्न कि अवैध कार्यवाही को उद्यमिता के आधार पर वैध ठहराएं कि उद्यमिता केवल जोखिमों को आवश्यक बनाती है अत: वैध व्यापार किया जाए ये ठीक नहीं है।

(3.) सृजनात्मक गतिविधि :- उद्यमिता में मूल्यों की रचना होती है। इस अर्थ मे सृजनात्मक गतिविधि है। उत्पादन के विभिन्न घटकों को एकत्रित करके एक उद्यमी वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा सेवाएं मुहैया कराता है जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उद्यमिता की प्रत्येक कार्यवाही से आय तथा धन में वृद्धि होती है।

उद्यमिता इस अर्थ में रचनात्मक भी है क्योंकि इसमे नवोत्पाद नए उत्पादनों का परिचय, नए बाजारों की खोज तथा निवेश की आपूर्ति, शिल्पशास्त्रीय नई खोज तथा नए संगठनात्मक रूपों का अच्छा कार्य करने के लिए विकास जो आधुनिक की अपेक्षा सस्ता हो, तेज हो एवं परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हों, सम्मिलित होते हैं।

(4.) उत्पादन का संस्थान :- उत्पादन मे उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसमें रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता तथा अधिकार उपयोगिता आदि हो सकती है जिसके लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों जैसे - भूमि, श्रम, पूंजी तथा तकनीक की संयुक्त रूप में आवश्यकता होती है। एक उद्यमी अपनी प्रतिक्रिया से इन साधनों को गति देता है।

CMRB GPC SRIGANGANAGAR

उत्तर-2 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम जिसे रीको के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1 नवम्बर 1979 को एक कम्पनी के रूप में की गई थी। रीको मध्यम व बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि, भवन निर्माण, मशीनरी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रीको द्वारा उद्योग हेतु भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

(1.) भूमि आवंटन के लिए फॉर्म, 30 रु. का क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर या ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है।

(2.) रीको द्वारा आवंटन:- रीको द्वारा अनेक स्थानों पर सम्पूर्ण आधारभूत सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया हुआ है। जिससे भूखण्ड प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित जिले के रीजनल मैनेजर, रीको से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ -

(i.) अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र।
(ii.) परियोजना की प्रति।
(iii.) उद्योग के प्रस्तावित ले-आउट प्लान प्रति।

(3.) जिलाधीश द्वारा आवंटन:- संबंधित जिले में कोई राजकीय पड़त, सलाई चक्र भूमि उपलब्ध है तो संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन कर उस भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट करवाकर आवंटन कराया जा सकता है।

(4.) कृषि क्षेत्र की किस्म परिवर्तन कराकर आवंटन:- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण कराया जा सकता है।

CMRBGPC SRIGANGANAGAR

उत्तर →

राजस्थान सरकार की ओर से लघु उद्योगों के लिए समय-2 पर विभिन्न अनुदान सुविधाएं घोषित की गई है जो निम्न प्रकार है,

(1.) राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान :-

1 अप्रैल 1990 से 30 मार्च 1995 तक स्थापित होने वाले पात्र लघु उद्योगों को 20% की दर से 20 लाख रु. तक तथा मध्यम व वृहत श्रेणी के उद्योगों को 15% की दर से 15 लाख रु तक का राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान दिया जाता है,

(2.) मूल्य वरीयता :-

लघु उद्योगों को राजकीय क्रय हेतु निविदा दरों में 15% कटौती तक मूल्य वरीयता प्रदान कर उनके माल के विपणन को प्रोत्साहन किया जाता है,

(3.) BSI मार्का अनुदान :-

लघु उद्योग द्वारा BSI मार्का प्राप्त करने के लिए पंजीयन व नवीनिकरण के शुल्क के बदले 2000 रु तक का अनुदान तीन वर्ष तक दिया जाता है,

(4.) डीजल जनरेटिंग सेट अनुदान :-

लघु उद्योग इकाईयों को 1 अप्रैल 1990 से डीजल जनरेटिंग सेट के क्रय मूल्य परीक्षण उपकरणों की स्वरीय पर किए गए व्यय का 25% अथवा 1 लाख रु की सीमा तक जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है,

CMRBGPC SRIGANGANAGAR